कार्यालय जिला पंचायत कोरबा (छत्तीसगढ़)

क्रमांक / 30 / जि.पं / सीएसएसडीएम / 2013 / कोरबा, दिनांक 21/2/14
प्रति,

जिला सूचना अधिकारी
जिला – कोरबा(छ0ग0)

विषयः– लाईवलीहुड कॉलेज कोरबा के लिए सामग्री कय करने हेतु निविदा आमंत्रित करने बाबत्।

– 0 –

लाईवलीहुड कॉलेज कोरबा हेतु प्रशिक्षणार्थियों के भोजन व्यवस्था का निविदा आमंत्रित किया जाना है जिस हेतु सामग्री की सूची एवं निविदा की शर्तें संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है ,कृपया संलग्न सूची का प्रकाशन **NIC** की वेब साईट पर अपलोड करने का कष्ट करेंगे। निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 28 / 02 / 2014 को सायं 3.00 बजे तक कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा,सीएसएसडीए शाखा में निविदा आमंत्रित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरबा (छ0ग0)

क्रमांक / 31 / जि.पं / सीएसएसडीएम / 2013 / कोरबा, दिनांक 21/2/14
प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर कोरबा की ओर सादर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरबा(छ.ग)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा

क्रमांक / 29 / जि0प0 / सीएसएसडीए / 2014 कोरबा, दिनांक 21/2/14

निविदा आमंत्रण सूचना

सीएसएसडीए के अंतर्गत निविदा पत्र लाईवलीहूड कालेज के संचालन हेतु प्रशिक्षणार्थियों की भोजन व्यवस्था किया जाना है इस हेतु वाणिज्यकर विभाग में पंजीकृत अनुभवी फर्मो से निविदायें आमंत्रित की जाती है। विवरण निम्नानुसार है:–

क्रमांक	समय	भोजन का विवरण
1	सुबह 7.30 बजे	चाय एवं नास्ता
2	दोपहर 1.00 बजे	चांवल ,दाल, सब्जी, आचार, पापड़ एवं सलाद
3	रात 7.30 बजे	चांवल ,दाल, सब्जी, आचार, पापड़ एवं सलाद

निविदा की शर्ते :–

1. वाणिज्यकर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र , आयकर समाशोधन प्रमाण पत्र तथा अमानत राशि 2000.00(दो हजार रू.) की डीडी क्रमांक जो सीएसएसडीए कोरबा को देय हो संलग्न करना होगा।
2. निविदा कर्ता को अमानत राशि वाणिज्यकर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र ,आयकर समाशोधन प्रमाण पत्र एवं निविदा दो पृथक–पृथक लिफाफे में रखकर एक अन्य लिफाफे के भीतर देना होगा।
3. केटरिंग संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
4. भोजन व्यवस्था का प्रदाय स्थल लाईवलीहुड कालेज कोरबा हेगा।
5. निविदा प्रपत्र स्पीड पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किये जाएंगे दिनांक 28/02/2014 को सायं 3.00 बजे तक कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा, सीएसएसडीए शाखा में निविदा लिया जायेगा एवं निविदा उसी दिवस सायं 4.00 बजे प्रदायकर्ता एवं उनके प्रतिनिधि यदि वे उपस्थित होना चाहे तो उनके समक्ष खोली जावेंगी।
6. प्रदाय की जाने वाली भोजन का नमुना परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा ।
7. प्रदायकर्ता का व्यापारिक संस्थान की स्थिति का स्पष्ट उल्लेख निविदा में करना होगा ।
8. भोजन व्यवस्था प्रदाय हेतु कोई व्यय देय नहीं होगा । दरों में करों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना होगा ।
9. निविदा को किसी भी समय सक्षम अधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा।
10. किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
11. निविदा की शर्तो के संबंध में एवं प्रदाय की जाने वाली सामग्री के संबंध में अन्य जानकारी हेतु कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत कोरबा (छ0ग0)